न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

(1) अपील संख्याः– 03 / 2017
जीसीएमएस नं. :–2017 / 00242

सुखचैन पुत्र रूड़चंद जाति अरोड़ा निवासी दोदां तहसील गिदडवाह जिला मुक्तसर, पंजाब।

––अपीलार्थी

बनाम

1. हरफूल सिह पुत्र मिठूसिंह
2. सरदूल सिंह पुत्र बलदेव सिंह
3. सरजीत सिंह पुत्र मुकंद सिंह
4. गुरचरण सिंह पुत्र सरजीत सिंह

जाति जटसिख निवासी बेहरवालाकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

5. हरनेक सिंह पुत्र इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
6. सरजीत कौर पत्नी जंगीर सिह
7. हरबंश सिह पुत्र मुकंद सिंह
8. बन्ता सिंह पुत्र मुकंद सिह
9. नक्षत्र सिंह पुत्र मुकंद सिंह
10. गुरजंट सिह पुत्र मुकंद सिह
11. जरनैल सिह पुत्र मुकंद सिंह

जाति जटसिख निवासी बेहरवालाकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

12. नत्था सिंह पुत्र धर्म सिह
13. जगदीश सिंह पुत्र धर्म सिंह

जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमागनढ।

14. भादर सिंह पुत्र फौजा सिह –फौत
    - 14 / 1 मनदीप कौर पत्नी भादरसिंह
    - 14 / 2 कर्मजीत सिंह पुत्र भादर सिंह
    - 14 / 3 जगजीत कौर पुत्री भादर सिंह
    - 14 / 4 नवदीप सिह पुत्र भादर सिंह

    जाति जटसिख निवासी बेहरवालाकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

15. कलवंत सिंह पुत्र ज्वालासिंह
16. जीत सिंह पुत्र जसवंत सिह
17. दर्शन सिंह पुत्र जसवंत सिंह

जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

18. जोंगेन्द्र सिंह पुत्र भाल सिंह –फौत
18/1 गुरमेल पुत्र जोगेन्द्र सिह
18/2 गुरदेव सिह पुत्र जोगेन्द्र सिह
18/3 दर्शन सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिह
18/4 राज सिह पुत्र जोगेन्द्र सिंह
} जाति जटसिख निवासी स्प्रे फैक्टरी सक्ताखेड़ा तहसील तहसील डबवाली जिला सिरसा
18/5 राज सिह पुत्र जोगेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।

19. रामसिंह पुत्र बचन सिंह
20. हमीर सिंह पुत्र बचन सिंह
21. वीर सिह पुत्र बचन सिंह
22. जगसीर सिंह पुत्र बचन सिंह
} जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमागनढ।

23. शरणलाल पुत्र
24. सोमलाल पुत्र
25. अशोक कुमार पुत्र
26. सरोज पुत्री
27. बीना कुमारी पुत्री
28. नीलम पुत्री
} जटूराम जाति अराड़ा निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

29. सुरेन्द्र कुमार पुत्र हीरालाल
30. राजेन्द्र कुमार पुत्र रूड़चंद
} जाति अराड़ा निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमागनढ।

31. राजसिंह पुत्र मखन सिह
32. बलदेव सिह पुत्र ज्ञान सिंह
33. अजायब सिंह पुत्र गुंरदत सिंह
34. करनैल सिह पुत्र गुरदत सिह
35. बन्ता सिह पुत्र गुरदत सिंह
36. कौर सिंह पुत्र दयाल सिंह
37. राम सिंह पुत्र दयाल सिह
38. गुंरतेज सिंह पुत्र दयाल सिह
39. सरवन सिह पुत्र मेहर सिंह
40. भजन सिंह पुत्र सरवन सिंह
41. साधु सिंह पुत्र मोटा सिंह
42. महा सिह पुत्र बक्शी सिंह
43. सुखविन्द्र सिह पुत्र बक्शी सिह
} जाति जटसिख निवासी सिलवालाखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

44. मेजर सिंह पुत्र बक्शी सिह
45. नायब सिंह पुत्र बक्शी सिह
46. मखन सिंह पुत्र बक्शी सिंह
47. हरबंश सिह पुत्र गुरनाम सिंह

} जाति जटसिख निवासी सिलवालाखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमागनढ।

48. हरनेक सिह पुत्र गुरनाम सिंह –फौत

48/1 चरणजीत कौर पत्नी हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

48/2 गुरमनजीत कौर पुत्री हरनेक सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता चरणजीत कौर पत्नी हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

49. तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.01.2017
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी, टिब्बी।
प्र. सं. 49/2014 अनवान सरजीत सिंह आदि बनाम सरजीत कौर आदि

(2) अपील संख्याः– 291/2022
जीसीएमएस नं. :–2022/00291

सुखचैन पुत्र रूड़चंद जाति अरोड़ा निवासी दोदां तहसील गिदडवाह जिला मुक्तसर, पंजाब।

––अपीलार्थी

बनाम

1. हरफूल सिह पुत्र मिठूसिंह
2. सरदूल सिंह पुत्र बलदेव सिंह
3. सरजीत सिंह पुत्र. मुकंद सिंह
4. गुरचरण सिंह पुत्र सरजीत सिंह

} जाति जटसिख निवासी बेहरवालाकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

5. हरनेक सिंह पुत्र इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

6. सरजीत कौर पत्नी जंगीर सिह
7. हरबंश सिह पुत्र मुकंद सिंह
8. बन्ता सिंह पुत्र मुकंद सिह
9. नक्षत्र सिंह पुत्र मुकंद सिंह
10. गुरजंट सिह पुत्र मुकंद सिह
11. जरनैल सिह पुत्र मकंद सिंह

जाति जटसिख निवासी बेहरवालाकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

12. नत्था सिंह पुत्र धर्म सिह
13. जगदीश सिंह पुत्र धर्म सिंह

जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमागनढ।

14. भादर सिंह पुत्र फौजा सिह –फौत

14/1 मनदीप कौर पत्नी भादरसिंह
14/2 कर्मजीत सिंह पुत्र भादर सिंह
14/3 जगजीत कौर पुत्री भादर सिंह
14/4 नवदीप सिह पुत्र भादर सिंह

जाति जटसिख निवासी बेहरवालाकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

15. कलवंत सिंह पुत्र ज्वालासिंह
16. जीत सिंह पुत्र जसवंत सिह
17. दर्शन सिंह पुत्र जसवंत सिंह

जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

18. जोंगेन्द्र सिंह पुत्र भाल सिंह –फौत

18/1 गुरमेल पुत्र जोगेन्द्र सिह
18/2 गुरदेव सिह पुत्र जोगेन्द्र सिह
18/3 दर्शन सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिह
18/4 राज सिह पुत्र जोगेन्द्र सिंह

जाति जटसिख निवासी स्प्रे फैक्टरी सक्ताखेड़ा तहसील तहसील डबवाली जिला सिरसा

18/5 राज सिह पुत्र जोगेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।

19. रामसिंह पुत्र बचन सिंह
20. हमीर सिंह पुत्र बचन सिंह
21. वीर सिह पुत्र बचन सिंह
22. जगसीर सिंह पुत्र बचन सिंह

जाति जटसिख निवासी सिलवालाखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमागनढ।

अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

23. शरणलाल पुत्र
24. सोमलाल पुत्र
25. अशोक कुमार पुत्र
26. सरोज पुत्री
27. बीना कुमारी पुत्री
28. नीलम पुत्री

जटूराम जाति अराड़ा निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

29. सुरेन्द्र कुमार पुत्र हीरालाल
30. राजेन्द्र कुमार पुत्र रूड़चंद

जाति अराड़ा निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमागनढ।

31. राजसिंह पुत्र मखन सिह
32. बलदेव सिह पुत्र ज्ञान सिंह
33. अजायब सिंह पुत्र गुंरदत सिंह
34. करनैल सिह पुत्र गुरदत सिह
35. बन्ता सिह पुत्र गुरदत सिंह
36. कौर सिंह पुत्र दयाल सिंह
37. राम सिंह पुत्र दयाल सिह
38. गुंरतेज सिंह पुत्र दयाल सिह
39. सरवन सिह पुत्र मेहर सिंह
40. भजन सिंह पुत्र सरवन सिंह
41. साधु सिंह पुत्र मोटा सिंह
42. महा सिंह पुत्र बक्शी सिंह
43. सुखविन्द्र सिंह पुत्र बक्शी सिह

जाति जटसिख निवासी सिलवालाखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

44. मेजर सिंह पुत्र बक्शी सिह
45. नायब सिंह पुत्र बक्शी सिह
46. मखन सिंह पुत्र बक्शी सिंह
47. हरबंश सिह पुत्र. गुरनाम सिंह

जाति जटसिख निवासी सिलवालाखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमागनढ।

48. हरनेक सिह पुत्र गुरनाम सिंह –फौत

48/1 चरणजीत कौर पत्नी हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

48/2 गुरमनजीत कौर पुत्री हरनेक सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता चरणजीत कौर पत्नी हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

49. तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

–रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.01.2017
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी, टिब्बी
प्र. सं. 49/2014 अनवान सरजीत सिंह आदि बनाम सरजीत कौर आदि

उपस्थितिः–

श्री इन्द्राज गोदारा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री खुशप्रीत सिह संधू अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ता 5, 31, 39, 40
श्री अमरीक सिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 14/1 से 14/4, 23 ता 30 व 41, 47 व 48/1
श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 43, 45, 46, 47
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 50

निर्णय दिनांक 15.06.23

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 ने रजास्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत खाता विभाजन का एक वाद पेश किया, जिसमें चक नं. 650 आरडी एव चक 644 आरडी की प्रश्नगत भूमि का खाता प्रतिवादीगण से अलग कायम करने एवं रकम राज अलग कायम करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी संख्या 47–48 हरफूल सिह पुत्र मिठूसिह व सर्दूलसिंह पुत्र बलदेव सिह ने एक प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत प्रस्तुत कर बतौर प्रतिवादीगण दर्ज किये जाने का प्रार्थना–पत्र पेश किया। वकील वादी ने कोई एतराज नहीं किया गया दोनों को पक्षकार बनाया गया। प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 20, 27, 35, 36, 44, 45, व 48 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा वादीगण का वाद एवं काउण्टर क्लेम स्वीकार किया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने उपरोक्त दो अपीलें एक वाद स्वीकार करने के विरूद्ध एवं दूसरी काउण्टर क्लेम स्वीकार करने के विरूद्ध पेश की है। दोनों अपीलों में समान पक्षकार एवं एक ही भूमि के संबंध में एक ही निर्णय एवं डिक्री होने के कारण इनका एक साथ निर्णय किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों प्त्रावलियों में अलग अलग रखी जावे। अपील में रेस्पोडेण्अ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

संख्या 39 व 40 ने प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 22 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र भी पेश किया।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री कतई गलत एवं विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये मुझ अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित कर दिया गया है। अपीलाण्ट पंजाब सरकार के विद्युत विभाग में सेवारत है तथा पंजाब के गांव डोडा तहसील गिरड़वाह जिला मुक्तसर में निवास करता है। अपीलाण्ट का स्थाई पता भी पंजाब में है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने मुझ अपीलाण्ट का पता सिलवाला खुर्द टिब्बी में बताकर ही तामील करवाई गई है जो कानूनन गलत है तथा तामील सही व बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपना कर मुझ अपीलाट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर एकतरफा तौर पर न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। मातहत अदालत ने रेसपोडेण्ट संख्या 1 ता 3 ने अर्जीदावा 53 आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया था जिसमें अदालत ने बिना तहसीलदार से कब्जा व मौका की रिपोर्ट मंगवाये व विधि की अनदेखी करते हुए बिना प्रार्थमिक डिक्री पारित किय अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी जिससे मुझ अपीलाण्ट के कब्जा काश्त की भूमि चक 650 आरडी प. नं. 220/304 किला नं. 9/.203, 12 दो बीघा प्रतिवादी संख्या 47 व 48/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित कर दी। अदालत मातहत ने काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 20, 27, 35, 36, 44 45, 47, 48 बाबत भी मुझ अपीलाण्ट या अन्य किसी को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जो कि कानूनन आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध है। अतः दोनों अपीलें स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 5, 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारा अनुसार प्रश्नगत भूमि पर काबिज हैं लगातार काश्त करते आ रहे हैं। मौका पर उक्त रकबा पर वादीगण की गहूं फसल काश्त की हुई है। वादीगण का प्रतिवादीगण से रकम राज आबियाना आदि को लेकर तकाजा रहता है एवं सिंव, बट आदि का झगड़ा रहता है। वादीगण का अपने हक व हिस्सा व कब्जा की आराजी का खाता संयुक्त नहीं रखना चाहता है वादीगण अपने आराजी जिसका विवरण वादपत्र में दर्ज है। का

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

खाता प्रतिवादीगण से अलग तकसीम कर रकमराज अलग कायम करवाने के दावेदार हैं। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट का जो पता रिकार्ड में दर्ज है उसी पर सम्मन भिजवाये गये थे। विधि सम्मत तामील होने के उपरान्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 39 एवं 40 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कतई विधि विरूद्ध है। मिन प्रत्यर्थीगण की कृषि भूमि जो कि कल 4.648 है0 दर्ज कागजात माल है को बिना किसी कारण व औचित्य के व मिन प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध वाद में किसी प्रकार का अनुतोष न चाहे गये हुए भी, उनके वैध हिस्सा की कुल 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि का हिस्सा कम कर दिया गया व मिन प्रत्यर्थीगण की 0.518 हैक्टर भूमि की क्षति पहुचांई गई। ऐसा निर्णय किसी भी प्रकार से वैध व न्यायसंगत होना नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सकारण निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय का निणय एवं डिक्री निरस्त किया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 ने प्रश्नगत भूमि के खाता विभाजन का वाद पेश किया थां। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा चक 650 आरडी प0 नं0 220/304 किला नं. 9/.203, 12 दो बीघा प्रतिवादी संख्या 47/व 48/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इकतरफा निर्णय पारित की गई। अपीलांट पंजाब सरकार के विद्युत विभाग में सेवारत है तथा पंजाब के गांव डोडा तहसील गिरड़बाह जिला मुक्तसर में निवास करता है तथा अपीलाण्ट का स्थाई निवास भी पंजाब है परन्तु अपीलाण्ट की तामील पता सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी में बाताकर करवाई जो उचित नहीं है एवं तामील सही व बिना किसी विधि प्रक्रिया को अपनाये अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार रेस्पोडेण्ट संख्या 39 व 40 की चक 644 आर.डी. तहसील टिब्बी की जमाबंदी सम्वत 2072–75 के संयुक्त खाता संख्या 111/105 की कुल 19.422 है0 भूमि में 4.648 है0 भूमि बतौर खातेदार कृषक नामान्तरित है। जिसे बिना किसी कारण व औचित्य के व

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रेस्पोडेण्ट उसके वैध हिस्सा की कुल 2 विघा 1 बिस्वा भूमि का हिस्सा कम कर दिया गया व जिससे रेस्पोडेण्ट सं0 39 व 40 को 0.518 है0 भूमि की क्षति हुई है। इस बिन्दू पर भी उभयपक्ष को सुना जाना उचित है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की दोनों अपीलें आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 39 व 40 का पत्याक्षेप भी स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर उपरोक्त दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है एवं रेस्पेाडेण्ट संख्या 39 व 40 का प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 22 भी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.01.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.6.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/6/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़